खबर कोना

अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अभ्यास के दौरान तिरंगा पकड़े हुए विद्यार्थी।

लाभार्थियों के खातों में भेजे गए 1,595 करोड़ रुपए

चंडीगढ़, 10 अगस्त (ब्यूरो)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 50 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,595 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की। सैनी ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी की, जिसके तहत करीब दस लाख महिलाओं के बैंक खातों में 209 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। उन्होंने 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,124 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी सीधे हस्तांतरित की।

नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल पर फैसला आज

चंडीगढ़, 10 अगस्त (जनसत्ता)।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी संघ की तीन दिवसीय हड़ताल को आगे बढ़ाने और आंदोलन तेज करने पर मंगलवार को निर्णायक फैसला होगा। दोनों संगठनों की संयुक्त राज्य कार्यकारिणी की बैठक 11 अगस्त को कर्मचारी भवन रोहतक में बुलाई गई है। इसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। नगरपालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने दावा किया कि प्रदेश के 83 निकायों और अग्निशमन विभाग के 103 दमकल केंद्रों में करीब 50 हजार कर्मी हड़ताल पर हैं। इससे विभिन्न जन सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

आतंकी संगठन का गुर्गा गिरफ्तार, हथगोला बरामद

चंडीगढ़, 10 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब पुलिस ने आइएसआइ प्रायोजित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) के एक आतंकी संगठन का भंडाफोड़ कर उसके एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक हथगोला बरामद किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने विदेश में बैठे आकाओं के निर्देश पर जलंधर से कथित तौर पर हथगोला हासिल किया था। पुलिस महानिदेशक ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'आतंकी संगठन बीकेआइ के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार कर 86-पी हथगोला बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जलंधर के आदमपुर के पास कथित तौर पर हथगोला हासिल किया था।'

पंजाब विवि में छात्रसंघ का चुनाव लड़ेगी इनैलो की छात्र इकाई

चंडीगढ़, 10 अगस्त (जनसत्ता)।

इंडियन नैशनल लोकदल (इनैलो) की युवा छात्र इकाई आइएसओ ने चंडीगढ़ में होने वाले छात्र संगठनों के चुनाव लड़ने का एलान करते हुए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है।

यह जानकारी इनैलो की युवा इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण चौटाला ने सोमवार को दी।

छत्रपति हत्याकांड में बरी करने का मामला

डेरा प्रमुख के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़, 10 अगस्त (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक पत्रकार की 2002 में हुई हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची व न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अरिदमन की याचिका को 16 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। राम रहीम की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि राज्य ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कोई याचिका दायर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कि यह मामला हाई कोर्ट की ओर से सजा पलटने का है। पीठ ने यह भी कहा, 'हम इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ हैं कि हो सकता है राज्य सरकार अपील न करे।'

डेरा प्रमुख, जिसकी उम्र 58 साल है, अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। वह वहां 2017 में अपने दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में मिली 20 साल की सजा काट रहा है। हरियाणा के सिरसा में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अक्तूबर 2002 में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। यह घटना तब हुई जब उनके अखबार 'पूरा सच' ने एक गुमनाम चिट्ठी छापी थी, जिसमें सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के कथित यौन शोषण का जिक्र था। बाद में छत्रपति की चोटों के कारण मौत हो गई और एक मामला दर्ज किया गया जिसमें राम रहीम को साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया। यह मामला 2006 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंप दिया गया। जनवरी 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआइ अदालत ने राम रहीम और तीन अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी, जिसने सात मार्च को उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई।

हरियाणा : 44.84 लाख मतदाताओं के रिकार्ड में खामी

मतदाता सूचियों में त्रुटियां ठीक कराने के लिए करीब नौ लाख नोटिस जारी

चंडीगढ़, 10 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा की मतदाता सूचियों में गलतियों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से राज्य के आठ लाख 91 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मतदाता इन खामियों को सुधारने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 44 लाख 83 हजार 676 मतदाताओं के विवरण में नाम, पिता/पति के नाम अथवा रिश्ते से संबंधित कमियां सामने आई हैं।

सभी मतदाताओं को अपने मतदाता पहचान पत्रों में सुधार के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सोमवार को प्रदेश के सभी उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आभासी माध्यम से बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद में सबसे अधिक 6,83,647 मतदाताओं के रिकार्ड में ऐसी कमियां मिली हैं।

फरीदाबाद की मतदाता सूचियों में मिली सर्वाधिक खामियां। हिसार में 2,83,747, सोनीपत में 2,82,239, करनाल में 2,68,827, पानीपत में 2,30,273 और जींद में 1,97,588 के रिकार्ड में सुधार की जरूरत सामने आई है।

यहां सभी के लिए नोटिस तैयार किए गए हैं, जबकि 55,733 नोटिस वितरित हो चुके हैं। इसके बाद हिसार में 2,83,747, सोनीपत में 2,82,239, करनाल में 2,68,827, पानीपत में 2,30,273 और जींद में 1,97,588 मतदाताओं के रिकार्ड में सुधार की जरूरत सामने आई है। अब तक करीब 19.87 फीसद नोटिस ही वितरित हुए हैं। यानी लगभग 35.93 लाख नोटिस अभी वितरित किया जाना बाकी है। नोटिस वितरण के मामले में पानीपत 97,552, सोनीपत 61,928, कुरुक्षेत्र 60,077 और हिसार 59,637 के साथ आगे हैं। वहीं गुरुग्राम में 4,74,870 नोटिसों में से केवल 9,328 तथा पंचकूला में 1,03,682 में से सिर्फ 8,313 नोटिस वितरित हुए हैं। गुरुग्राम में वितरण का अनुपात करीब 1.96 फीसद और पंचकूला में करीब 8.02 फीसद है।

विरोध

चंडीगढ़ : पंजाब विश्वविद्यालय में सोमवार को चीन के 'एथनिक यूनिटी कानून' के विरोध में प्रदर्शन करते तिब्बती युवा। -कमलेश्वर सिंह

पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन

तीन घंटे से कम समय में पारित किए नौ विधेयक

चंडीगढ़, 10 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सोमवार को करीब साढ़े सात घंटे चली बैठक में बिना भोजनावकाश के तीन घंटे से भी कम समय में नौ विधेयक पारित कर दिए गए। विपक्षी सदस्यों ने अंतिम दिन बड़ी संख्या में विधायी कार्य निपटाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायकों सुखपाल सिंह खैरा और परगट सिंह ने विधेयकों को जल्दबाजी में सदन में लाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सत्र के पिछले पूरे सप्ताह कोई विधायी कार्य नहीं हुआ।

विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने भी एक समय सदस्यों से कहा कि वे सदन के समक्ष रखे गए कार्यों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोपहर करीब 2.41 बजे विधेयक पेश किए जाने शुरू हुए और शाम 5.21 बजे तक सभी नौ विधेयक

स्कूल वार्षिक शुल्क में पांच फीसद से अधिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स कर्मियों को अनुबंध पर लेगी सरकार।

पारित कर दिए गए। सबसे महत्त्वपूर्ण विधेयकों में 'पंजाब राज्य आउटसोर्स कर्मी (संविदात्मक नियुक्ति में संक्रमण) विधेयक, 2026' और निजी विद्यालयों की शुल्क वृद्धि नियंत्रित करने संबंधी विधेयक शामिल रहे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से पेश आउटसोर्स कर्मी विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। इससे लंबे समय से आउटसोर्स आधार पर कार्यरत 25 हजार से अधिक कर्मियों को लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की ओर से पेश 'पंजाब विनियमित शुल्क, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026' भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके तहत निजी विद्यालयों की वार्षिक शुल्क वृद्धि सामान्यतः पांच फीसद तक सीमित रहेगी। शुल्क में शिक्षण, विकास, वार्षिक, गतिविधि, स्मार्ट कक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और परीक्षा शुल्क समेत अन्य अनिवार्य शुल्क शामिल होंगे।

इसके अलावा 'क्लाउड विश्वविद्यालय, होशियारपुर विधेयक', 'एमएस डिजिटल विश्वविद्यालय, पटियाला विधेयक' और 'फिजिक्सवाला डिजिटल विश्वविद्यालय, पटियाला विधेयक' भी पारित किए गए। सदन ने औद्योगिक क्षेत्रों के साझा ढांचे के रखरखाव, वस्तु एवं सेवा कर, पंचायती राज तथा वृक्ष संरक्षण से संबंधित विधेयक भी पारित किए।

हरियाणा में तीन साल की वकालत के बाद ही बन सकेंगे सिविल जज

चंडीगढ़, 10 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा की विभिन्न अदालतों में अभ्यास कर रहे वकील अब न्यूनतम तीन साल की वकालत करने के बाद ही सिविल जज बन सकेंगे। जज बनने के बाद विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किए बगैर वेतनवृद्धि का लाभ भी नहीं मिलेगा। पांच साल के अनुभव वाले सिविल जज को कनिष्ठ से वरिष्ठ श्रेणी में पदोन्नति मिल सकेगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। न्यायिक सेवा में दो ग्रेड सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) तथा सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) निर्धारित किए गए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार सिविल जज बनने के लिए आवेदन करने के इच्छुक वकील के पास राज्य बार संघ से तीन साल के लिए अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने का प्रमाणपत्र होना चाहिए। यह प्रमाणपत्र संबंधित न्यायालय के प्रधान न्यायिक अधिकारी अथवा उस न्यायालय के न्यूनतम दस साल वाले अनुभव वाले अधिवक्ता जारी कर सकेंगे। न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी के साथ विधि लिपिक-विधि शोधकर्ता के रूप में कार्य को भी अभ्यास के कुल वर्षों की गणना में शामिल किया जाएगा।

प्रत्येक सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) वह सभी वेतनमान और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जो राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किए गए हैं। हालांकि द्वितीय और उसके बाद की वार्षिक वेतन वृद्धियां प्राप्त करने का हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही मिलेगा। परीक्षा पास करने के बाद रोकी गई वेतन वृद्धियों को भी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। वार्षिक वेतनवृद्धि की दर तीन फीसद संचयी होगी।

बिजली कर्मियों की हड़ताल दो महीने के लिए टली

चंडीगढ़, 10 अगस्त (जनसत्ता)।

सरकार ने दिया मांगों के समाधान का भरोसा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ बैठक में बनी सहमति।

हरियाणा सरकार की ओर से बिजली निगम में पैरेलल लाइसेंस, एग्री डिस्काम और स्मार्ट मीटरिंग समेत कर्मियों की मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बाद बिजली कर्मियों ने हड़ताल को दो माह के लिए टाल दिया है। अब बिजली कर्मी दस अक्तूबर तक हड़ताल पर नहीं जाएंगे।

बिजली कर्मियों ने यह फैसला सोमवार को ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ कई घंटे की मैराथन बैठक के बाद लिया। विज की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में बिजली कर्मचारी संघ ने निजीकरण का विरोध किया। वहीं, बिजली कर्मियों की मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। बिजली कर्मियों और ऊर्जा मंत्री के बीच हुई वार्ता में हर मुद्दे पर चर्चा हुई। कर्मियों ने सरकार को मांगों को पूरा करने का दो महीने का समय दिया। बैठक में सरकार की ओर से कर्मियों की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।

बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री विज ने कहा कि बिजली कर्मियों के साथ बातचीत बहुत अच्छे और सकारात्मक माहौल में हुई। कर्मियों की प्रमुख चिंता बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि निजीकरण से जुड़े मुद्दे पर उसने भी हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में अपना विरोध दर्ज कराया है। कर्मियों की कुछ मांगें अभी लंबित रखी गई हैं, जिनका अध्ययन किया जाएगा। जोखिम भत्ता के मुद्दे पर सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है और इसके लिए एक समिति गठित की जा रही है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: एस.सी.ओ. 64, 65, पहली मंजिल, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़

डिमांड नोटिस

एतद्द्वारा एक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने मूलधन के पुनर्भुगतान और बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के ब्याज के भुगतान में चूक की है और कहा है कि सुविधाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ताओं और गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में नोटिस बिना सेवा के वापस कर दिए गए हैं और अन्य मामलों में पावती प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार उधारकर्ताओं/गारंटरों को इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	संपत्तियों का विवरण	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि
शाखा कार्यालय: मुल्लांपुर 1. **श्रीमती सीता देवी** पत्नी श्री सोबन सिंह (ऋणकर्ता), मकान नंबर 4991, मलोया कॉलोनी, चंडीगढ़- 160025 **वैकल्पिक पता:** मकान संख्या 503, एचबी नं 22, गोविंद नगर, ग्राम झमपुर, कॉलोनी, चंडीगढ़, 160025. 2. श्री सोबन सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह (सह-ऋणदाता), मकान संख्या 4991, मालोया कॉलोनी, चंडीगढ़ - 160025, वैकल्पिक पता: मकान संख्या 503, एचबी संख्या 22, गोविंद नगर, गांव झमपुर, एसएएस नगर, मोहाली - 160014।	मकान संख्या 503, गोविंद नगर, एचबी नं 22, गांव झामपुर की रिहायशी संपत्ति 1 मरला 6 सरसाही (लगभग 50 वर्ग गज) संपत्ति, जिसमें 97 कनाल 2 मरला में से 15/17478 हिस्सा खाता 281/313, खसरा नं. 30//1/2(5-2), 30//2/2, 30// (2-3), 30//8(7-13), 30//9/1 (2- 13), 30//9/2(5-0), 30//10(8-0), 30//11(7-18), 30//12(8-0), 30//13(8-0), 30//18(8-0), 30//19(8-0), 30//20(3-8), 30//21(0-0), 30//22(5-13), 30//23/1(3-11), 30//26(0-13), 31//5/2(2-18), 6(7-3), 31/17(0-12), 31//15(1-19),32//2(0-16) श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री सोबन सिंह के नाम पर विक्रय विलेख संख्या 2018-19/3/1/5444 दिनांक 05.02.2019 द्वारा। सीईआरएसएआई सुरक्षा हित आईडी: 400030601843, परिसंपत्ति आईडी: 200030552299,	13.07.2026	23-07-2026	18.07.2026 तक 8,14,655.60 रु. और उस पर ब्याज और अन्य प्रभार
शाखा कार्यालय: मनीमाजरा 1. **श्री आदिल खट्टर** पुत्र श्री नरेश चंद्र (ऋणकर्ता), मकान संख्या 5104, मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मनीमाजरा, सेक्टर 13, चंडीगढ़ - 160101 2. **श्रीमती टीना कपलाश** पत्नी श्री आदिल खट्टर (सह-ऋणकर्ता), मकान संख्या 5104, मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मनीमाजरा, सेक्टर 13, चंडीगढ़ - 160101।	पट्टे पर आवासीय मकान संख्या 5104 (भू-मंजिल), श्रेणी - 3, मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मनीमाजरा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, भूखंड क्षेत्र 38.18 वर्ग गज और आवरण क्षेत्र 1185.00 वर्ग फुट, स्वामित्व श्रीमती टीना पत्नी आदिल खट्टर द्वारा उप रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 31.05.2019 को विलेख संख्या 1892 के माध्यम से पट्टा अधिकार हस्तांतरण और दिनांक 02.07.2019 को ज्ञापन संख्या 4388 के माध्यम से आवंटन हस्तांतरण किया गया। सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: फ्लैट संख्या 5103, दक्षिण: फ्लैट संख्या 5105, पूर्व: प्रवेश/सीढ़ियाँ, पश्चिम: पार्क/सड़क। सीईआरएसएआई आईडी: संपत्ति आईडी: 200062800989, सुरक्षा आईडी: 400062064643।	14.07.2026	24.07.2026	18.07.2026 तक 59,01,474.99 रु. और उस पर ब्याज और अन्य प्रभार

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के तहत, आपको बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बैंक की देनदारियों का भुगतान करके, किसी भी समय नोटिस के प्रकाशन की तिथि से पहले, सुरक्षित संपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक नीलामी या सार्वजनिक या निजी संधि से उद्धरण या निविदा आमंत्रित करके मोचन का अधिकार उपलब्ध है। उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को संबंधित शाखा से नोटिस की प्रति एकत्र करने के लिए भी सूचित किया जाता है।

दिनांक: 07.08.2026 स्थान: चंडीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम)
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लेट-ए, 6वीं मंजिल, कार्यालय ब्लॉक-2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
वेबसाइट:www.railtel.in, CIN: L64202DL2000GOI107905

संविदात्मक भर्ती हेतु सांकेतिक सूचना-रिक्ति सूचना संख्या: RCIL-CO0HR(RECR)/7/2025 (CN-51969)

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित रिक्तियों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू रेलटेल कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा:

- सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट (तकनीकी) (संविदा के आधार पर) – 01रिक्ति
- सॉल्यूशन आर्किटेक्ट (तकनीकी) (संविदा के आधार पर) – 01 रिक्ति

वॉक-इन इंटरव्यू की तिथि: 27.08.2026 को सुबह 09:00 बजे।
इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना और आवेदन पत्र रेलटेल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.railtel.in/careers.html पर 'करेंट जॉब ओपनिंग्स' सेक्शन के अंतर्गत देख सकते हैं।

कार्यकारी निदेशक/मानव संसाधन

कार्यालय ग्राम पंचायत डवाहण
विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

निविदा आमन्त्रण सूचना

ग्राम पंचायत डवाहण विकास खंड सदर जिला मंडी के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु वर्ष 2026-27 लिए विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार अधिकृत विक्रेताओं से डाक द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ दिनांक 15-08-2026 को अपराह्न 11 बजे तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ इसी दिनांक 15/08/2026 को अपराह्न 11 बजे के बाद ग्राम पंचायत की निर्माण कमेटी व निविदा दाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पंचायत कार्यालय में खोली जायेंगी।

सामग्री का विवरण: 1. रेत क्रशर प्रति घन मीटर 2. बजरी क्रशर 10एमएम, 20एमएम, 40एमएम प्रति घन मीटर ,3 पत्थर/कटस्टोन प्रति घन मीटर 4. बोल्डर/सोलिंग प्रति घन मीटर 5. ईंट (2nd class) प्रति नंबर 6. (a) सैटरिंगईगाव् रास्ता (b) भवन सैटरिंग प्रति स्क्वेयर फुट 7.आरसीसी पाइप व् कौल्वर 300एमएम, 450एमएम, 600एमएम, 900एमएम/पेवर प्रति नंबर 8. जे०सी०बी० हेतु प्रतिघंटा, 24000रू०/ से ऊपर टीडीएस 9. सीमेंट किराया प्रति बैग के हिसाब से गडल से कार्य स्थल तक उतराई व् चढ़ाई के साथ प्रति बैग 10. मिक्सचर प्रतिदिन 11. CIB प्रति।

नियम व शर्तें :- 1. निविदायें केवल पंजीकृत डाक द्वारा ही पंचायत कार्यालय में प्राप्त की जाएँगी किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायगी। 2. निविदादाता के पास अपना पंजीकरण, पैन संख्या, जीएसटी नम्बर होना आवश्यक है। 3.ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से हस्ताक्षरित एम फार्म जमा करवाने होंगे (एम फार्म) 4. सामग्री की आपूर्ति ल०नि० विभाग की स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होगी। 5. निर्माण सामग्री कार्यस्थल या जहां तक गाड़ी जाती है वहाँ उपलब्ध करवानी होगी। 6. निविदा दाता को 25000/-रू० धरोहर/सुरक्षित राशि पंचायत के नाम जमा करवानी होगी, तभी निविदाएँ मान्य होगी अन्यथा बिना धरोहर राशी के निविदाएँ रद्द समझी जाएगी। 7. निविदा दाता यदि सामग्री आपूर्ति समयानुसार नहीं कर पता उसकी अग्रिम सुरक्षित राशि वापिस नहीं होगी। 8. समान दर रहने की स्थिति में एक या एक से अधिक निविदादाताओं के लिए कार्य आदेश निर्गत करने, सामग्री की गुणवत्ता के चयन तथा निविदाएं किसी भी समय रद्द करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा। 9. ग्राम पंचायत के सप्लाई ऑर्डर के अनुरूप ही सप्लाई स्वीकार की जायेगी। 10. दरों का उल्लेख करते समय TAX INCLUDED या EXCLUDED का उल्लेख करना भी आवश्यक है। 11. ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्राधिकार में एक ही मूल्य देय होगा व् अस्वीकृत सामग्री की अदायगी देय नहीं होगी। 12. इसमे रेत 1000 CUM, बजरी 800 CUM, पत्थर/कट स्टोन 1200 CUM, बोल्डर 1200 CUM, ईंट 35000 नं० वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित इतना ही मटीरियल लगेगा। सामग्री लेने का अंतिम मूल्य/निर्णय विभाग की JUSTIFICATION व चारित निविदादाता के साथ NEGOTIATION अनुसार/उपरान्त किया जायेगा।

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत डवाहण

Ind-Swift Laboratories Ltd.
Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160101 | Ph: +0172-2730503, 2730920
Website: www.indswiftgroup.com | CIN L24232CH1995PLC015553

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026.

The Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the company for the quarter ended 30th June, 2026 ('Financial Results') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 10, 2026. The Un-Audited Financial Results along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at www.indswiftgroup.com and can be accessed by scanning the QR Code below:

Place: Panchkula
Date: 10.08.2026

For Ind Swift Laboratories Limited
Sd/-
N.R. Munjal
Chairman